

नारी जाति के अधिकार :- हात भागे किसान

डॉ रेखा वसंतराव मुले

सहायक प्राध्यापक
कला और विज्ञान महाविद्यालय
चौसाला जिला बीड, महाराष्ट्र .

हिंदी साहित्य में प्रेमचंद मर्धून्य कहानीकार उपन्यासकार माने जाते हैं। लगभग साडेतीनसों कहानियाँ और दस बारा उपन्यास लिखे हैं। किसान, स्त्री, जाती देश की सामाजिक सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी परिस्थितियों के उपर अध्ययन करके अपने उपन्यास और कहानी में यथार्थ चित्रण किया है।

नारी संबंधी वर्णन करते हुये प्रेमचंद जी लिखते हैं की, येतो भारतीय नारी सदैव कुलदेवी समझी गई है। और उसे समाज में पुरुषों से उँचा पद प्राप्त है। किंतु अन्यान्य कारणों से जिनकी विवेचना करने का अवसर नहीं है। उसका स्थान गौण हो गया था। वह मंद बुद्धिमत्ता जिसने एक और पराधीनता की बेडी पाँव में डाली दुसरी और नारी जाती पर मनमाने अत्माचार करती गई।

उंच नीच का ऐसा संक्रामक रोग फैल। कि उसने समाज में ही छिन्न भिन्न कर दिया। बल्कि स्त्री पुरुष में ही छिन्न भिन्न कर दिया। पुरुषों ने नारी जाति के स्वत्वों का उपहरण करना शुरु किया, लेकिन राष्ट्रीयता और समृद्धि की जो लहर इस समय आई हुई है, वह इन तमाम भेदों को मिटा देगी और एक बार फिर हमारी माताएँ उसी उँचे पद पर आरुढ होंगी जो उनका हक है।

भारत अपनी माताओं का सदैव भक्त रहा मातृ-पूजा उसके धर्म का एक मुख्य अंग है। क्या आज अपनी माताओं द्वारा विजयी होकर वह नारी जातिसे स्वत्व को स्विकार न करेगा ? भारत के पतन काल में जब पुरुषों को- अपने ही उपर विश्वास नहीं था। वह स्त्रियों पर क्या विश्वास करते पर इस एक वर्ष के सत्याग्रह संग्रामने सिद्ध कर दिया कि भारत की देवियाँ अब भी धर्म और कर्तव्य की वेदी पर अपने को होमकर सकती हैं। यदी पुरुषों को अब भी उनपर शासन करने का उन्माद हो तो उसे शीघ्र से शीघ्र दूर कर देना चाहिए क्यों कि वह चाहे देया न दें देवियाँ अपने स्वत्वों को लेकर ही रहेंगी ।

उन्हें हरएक विषय में पुरुषों के समान अधिकार होना चाहिए और इसका निर्णय देवियों पर छोड देना चाहिए कि वे अपने हितार्थ जो स्वत्व चाहे ले ले । हमारे विचार में आज में निम्नलिखित विषयोंपर नारियों को असंतोष है और इस असंतोष को देवियों की इच्छानुसार ही शमन करना पडेगा।

एक विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए समान रूप है। कोई पुरुष पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह न कर सके। पुरुष की संपत्ती पर पत्नी का पूरा अधिकार हो। वह उसे रेहन क्यू जो चाहे कर सके। पिता की संपत्ती पर पुत्रों और पुत्रियों का समान अधिकार है। तलाक का कानून जारी किया जाए और

वह स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए समान है। तलाक के समय स्त्री पुरुष की अधि संपत्ती पाए और यदि मौरुसी जायदाद ही तो उसका एक अंश।

भारत के अस्सी फीसदी जनता या पुरुष आज भी खेती करते है। कई फीसदी व वह है जो अपनी जिविका के लिए किसानों के मुहताज है। जैसे गाँव में बढई लुहार आदि। राष्ट्र के हाथ में जो कुछ विभूति है वह इन्ही किसानों और मजदुरों की मेहनत का सदका है। हमारे स्कूल और विद्यालय हमारी पुलिस और फौजी हमारी अदालत और कचहरियाँ सब उन्ही की कमाई के बल पर चलती है। लेकिन वही जो राष्ट्र के अन्न और वस्त्र दाता है भरपेट अन्न को तरसते है। जाडे पाले में ठिठूरते है। और मक्त्तरवसों की तरह मरते है।

एक जमाना था जब गाँव के लोग अपने डील-डौल बल पौरुष के लिए मशहूर थे। जब गाँवों में दूध घी कि इफारात थी। जब के लोग दीर्घजीवी होते थे। जब देहात की जलवायु स्वास्थकर और पौषक थी लेकिन आज आप किसी गाँव में निकल जाइए। आपको खोजने से भी हस्टपुष्ट आदमी नाही मिलेगा। न किसी की देहपर मास है न कपडा। मानों चलते फिरते कंकाल हो। और तो और उन्हे रहने को स्थान नाही है।

लेकिन आज भारत दरिद्रता और अज्ञान कें ऐसे गहरे गडुमे गिर पडा है कि उसकी थाह भी नाही मिलती है। लॉर्ड कर्जन ने १९०१ तीस रुपए साल किया था। १९०५ में एक दूसरे हिसाबाद ने इस अनुमान को पचास रुपय तक पहुँचाया और १९१५ में वह समय था जब यूरोपीय महाभारत ने चीजों का मूल्य बहुत बढा दिया आज भी भारत में किसानों की दशा की और ध्यान नहीं दिया और उनकी दशा आज भी वैसी है जो पहले थी। उनके खेती के औजार, साधन, कृषि-विधि कर्ज दरिद्रता सकबुछ पूर्ववत है।

किसानों के लिए दूसरी जरूरत ऐसे घरेलू धंदों की है। जिससे वह अपनी फूरसत के वक्त कुछ कमा सके। यह काम असंगठित रुप से सफल नाही हो सका। इसे या तो सहकारी सोसायटियों के हाथ में दिया जाना चाहिए। या सरकार को खुद अपने हाथ मे रखकर व्यापार और उद्योग विभाग के व्दारा इसका संचालन कराना चाहिए।

एक प्रांत में बाज ऐसी चीजे है। जीनकी खपत नाही है। मगर दूसरे प्रांतो में उनकी अच्छी खपत है। ऐसे उद्योगो का प्रचार किया जाना चाहिए।

खेती की पैदापार बढाने की और भी अभी तक काफी ध्यान नहीं दिया गया। सरकारने अभी तक केवल प्रदर्शन और प्रचार की सीमा के अंदर रहना ही उपयुक्त समझा है। अच्छे औजार अच्छे बीजो, अच्छी खादों का केवल दिखा देना ही काली नाही है। सौ में दो किसान इस प्रदर्शन से फायदा उठा सकते है।

आज भारत में किसानों के पास इन भैतिक बाधाओं की कोई दवा नहीं है। कृषि विभाग ने इस विषय में बहुत कुछ खोज किया है। और जरूरत है कि उसकी परिक्षित अनुभूतियाँ किसानों के कानों तक पहुँचाई जाएँ। केवल इतना ही नहीं उनके द्वार तक पहुँचाई जाएँ। पर यहाँ तो जो कुछ होता है। दफ्तरी ढँग से जो इतना पेचीदा और विलंबकारी है कि उससे किसानों को फायदा नहीं होता यहाँ दफ्तरी ढँग की नहीं मशीनरी उद्योग की जरूरत है।

आज तक सरकारने किसानों के साथ सौते ले लडके का सा व्यवहार किया है। अब उसे किसानों का अपना जेठा पुत्र समझ कर उसके अनुसार अपनी नीति का निर्माण करना होगा।

निष्कर्ष :-

इस प्रकार इतना आवश्यक चाहते हैं कि सरकार और जमिंदार दोनों ही इस बात को न भूल जाएँ कि किसान भी मनुष्य है उसे भी रोटी और कपडा चाहिए रहने को घर चाहिए उसके घर में शादी गमी के अवसर आते हैं। उसे भी अपनी बिरादारी में अपने कुल मर्यादा की रक्षा करनी पडती है। बीमारी आरामी औरो की तरह उस पर भी व्याप्त होती है। इसी लिए लगान बांधते समय इस बात का ख्याल रखे कि किसान को कमसे कम खेती में इतनी मजदूरी तो मिल जाए कि वह अपने बाल बच्चों का पालन कर सके। इसी लिए जमीन के लगान के दर में नार सिरे से तरमीम होती आवश्यक है। बेशक उससे जमींदारों की आमदानी कम हो जाएगी और सरकार को अपने नए बजट बनाने में बडी कठिनाई पडेगी लेकिन किसान के जीवन का अन्य सभी हितों से की ज्यादा मुल्य है। आज परिस्थिती में कुछ ऐसा परिवर्तन करने की जरूरत है कि किसान सुखी और स्वस्थ है। आज सरकार किसानों के हित के लिए कुछन कुछ बदल कर के उनके वृध्दी में आय बढाने का काम कर रही है।

संदर्भ सूचि :-

१. हंसपत्रिका नई दिल्ली
२. अनभैय त्रैयसिका डॉ रतन पान्डे , मुंबई
३. संचारीका विश्व विद्यालय, औरंगाबाद
४. भारतीय साहित्य मिलिंद प्रकाशन सुलतान बाजार हैद्राबाद